संख्या-9/3397/30-3-13-07बी/2007

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 11 नवम्बर, 2013

विषय- परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/मरम्मत कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-107नजारत/2013-08नजारत/2013, दिनॉक 30-10-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन के विभिन्न कक्षों में मरम्मत/प्लास्टर/पुताई/पुरानी खिडकियों के स्थान पर एल्युमिनियम की खिडकी लगाने आदि कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था अनुरक्षण खण्ड-1 (सिविल), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा गठित आगणन के आधार पर कुल रू0 22.92 लाख (रू0 बाईस लाख बान्नवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त जीर्णोद्धार/मरम्मत का कार्य तब तक प्रारम्भ न किया जाय जब तक उपरोक्त भवन के जीर्णोद्धार/मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-303/दस-06-89/04, दिनॉक 02-03-2006 के प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक (तकनीकी) स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय। भवन का जीर्णोद्धार/मरम्मत का कार्य समयबद्धता से पूर्ण कराया जाय साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

(2) इसके अतिरिक्त कार्य कराये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, वह उन्हीं मदों में व्यय की जाय तथा मदों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो रही हो। मद व्यावर्तन और द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति रोकने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(3) प्रस्तावित कार्यों की मात्रा को यथावत मानते हुए उपलब्ध करायी गयी दरों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है। यदि दरों में कोई विचलन होता है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के मासिक व्यय का विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेशा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/3397(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- कार्यदायी संस्था अनुरक्षण खण्ड-1 (सिविल), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा परिवहन आयुक्त।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in